


# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, दौसा

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज चिरंजीलाल बनाम डॉ. गोवर्धन लाल शर्मा एसडीओ रामगढ पचवारा वगैरा प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण मु.न. 68/2018	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
---------------	---	--

11.09.2018

अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया की प्रकरण में पत्रावली तामील बइंतजार अप्रार्थीगण एवं उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारी की टिप्पणी हेतु पेशी तारीख आज नियत है। किन्तु तत्कालीन पीठासीन अधिकारी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा श्री गोवर्धनलाल शर्मा का स्थानान्तरण हो चुका है। इसलिए विचाराधीन प्रार्थना पत्र को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा व्यक्त किया गया है कि तत्कालीन पीठासीन अधिकारी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा का स्थानान्तरण हो चुका है। इसलिए प्रार्थना पत्र को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा में विचाराधीन प्रकरण बउनवानी राजेन्द्र बनाम सुरेश कंवर को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने हेतु प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा को भिजवायी जावे। प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 11.09.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
जि० जिला कलेक्टर  
दौसा

